//नीलामी सूचना//

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल में अनुपयोगी ई–वेस्ट (सीपीयू, मॉनिटर, की–बोर्डस, एसी,टेलीफोन, फोटो कॉपियर, ई–टाईपराईटर्स आदि) का विक्रय "जैसा है, जहॉं है " के आधार पर खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है । इस नीलामी में केवल वही पार्टी शामिल हो सकेगी जो ई–वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 के तहत् पंजीकृत रीसायक्लर्स अथवा जिन्होने कलेक्शन सेंटर स्थापित किये है । इच्छुक पार्टियॉं रू. 1,000 की धरोहर राशि जमा कर दिनांक 17/11/2014 को अपरान्ह 03.00 बजे नीलामी में भाग ले सकते है। विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेब–साइट www.mppcb.nic.in पर उपलब्ध है।

(ब्रजेश कुमार शर्मा)
सहायक यंत्री

// ई–वेस्ट नीलामी हेतु मार्गदर्शिका //

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल में ई–वेस्ट का जैसा है, जैसा है के आधार पर नीलामी की जाना है, विवरण निम्नानुसार है :–

No	E Waste	No
1	Computer	55
2	Monitors	18
2	Printer & Scanner	27
3	Photocopiers & Electronic Type writers	14
4	Air Conditioner	13

1. नीलामी में ई–वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 के तहत् पंजीकृत रीसायक्लर्स अथवा कलेक्शन सेन्टर भाग ले सकेंगे ।

2. ई–वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 के तहत् पंजीकृत संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

3. उपरोक्त सामग्री जैसा है, जहॉ है की मात्रा अनुमानित है जो कि कम या अधिक हो सकती है ।

4. सभी बोलीदाताओं को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पक्ष में बयाना राशि रू. 1000/ जमा करने होंगे जिसे असफल बोली होने पर उन्हें वापिस कर दिया जावेगा ।

5. ई–वेस्ट का अवलोकन कार्यालयीन समय में 11.00 से 4.00 बजे तक किया जा सकता है ।

6. नीलामी की न्यूनतम् बोली रू. 50800/– निर्धारित की गई है । केवल उच्चतम् बोलीदाता की बोली स्वीकार की जावेगी ।

7. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल से अनुमति पत्र प्राप्त होने के 02 दिवस के अंदर कार्यालयीन समय में ई–वेस्ट को उठाना होगा ।

8. ई–वेस्ट जैसा है, जहॉ है आधार पर निपटान किया जाना है । अतः प्रकिया शांतिपूर्ण और सरल ढंग से की जानी चाहिए । किसी भी व्यक्ति को बोर्ड के परिसर से सामग्री हटाते समय किसी भी आपत्तिजनक कार्य करने की अनुमति नहीं होगी ।

9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।